मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 11 अगस्त-2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय- राज्य सरकार के विभागो में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

संदर्भ- इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल,दिनांक 22 जुलाई-2023 ।

कृपया उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें। राज्य शासन के ध्यान में यह विषय आया है कि कण्डिका 3.3 में गठित समिति और कण्डिका 11.5 के अंतर्गत संबंधित निगम/ मंडल आदि द्वारा लिए गए निर्णय से अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो वह अपना अभ्यावेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :-

1. संदर्भित दिशा-निर्देश की कंडिका 3.3 में उल्लेखित समिति द्वारा लिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए हितधारी स्वयं अपना अभ्यावेदन संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत

करेगा। प्रशासकीय विभाग उसका परीक्षण कर अपना अभिमत कंडिका 3.3 में उल्लेखित समिति के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।

2. मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रम/ स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय/आयोग/विकास प्राधिकरण/बोर्ड/परिषद/संस्थाओं के द्वारा कण्डिका 11.5 के अंतर्गत लिए गए समुचित निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन निम्न समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा :-

1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग -अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग -सदस्य
3. संबंधित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव -सदस्य सचिव

सदस्य सचिव का यह दायित्व होगा कि वह समिति के समक्ष समस्त जानकारी सहित अभ्यावेदन को अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करे। समिति द्वारा लिया गया निर्णय संबंधित संस्था पर बंधनकारी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गिरीश शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल,दिनांक 11 अगस्त-2023

प्रतिलिपि -

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश।
5. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
16. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्याल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
20. समस्त ज़िला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
21. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
23. अध्यक्ष, शासन के समसत मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग